

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (T-37) अलेसे-1/ 683

दिनांक:- 29.07.2022

आदेश

श्री तुलछाराम (लिनक नं. 6474), तत्कालीन सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, कार्यालय पंचायत समिति, तारानगर (चूरु) द्वारा इस निदेशालय के आदेश क्रमांक 8139-65 दिनांक 12.08.2015 की अनुपालना में दिनांक 13.08.2015 से 28.12.2017 तक अपने पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरु) में सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने के फलस्वरूप इन्हें राजस्थान सेवा नियमों के नियम 35 एवं 50 के अनुसार दिनांक 13.08.2015 से 31.01.2016 (पद रिक्ती दिनांक 01.08.2015 से अधिकतम 6 माह तक का) स्वयं के वेतन का 3 प्रतिशत दोहरा कार्यभत्ता स्वीकृत किया जाता है।


(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक:- एफ.2 (क) (T-37) अलेसे-1/ 683-691

दिनांक:- 29.07.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. कोषाधिकारी, चूरु।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, राजगढ़ (चूरु)।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, तारानगर (चूरु)।
4. श्री तुलछाराम, लेखाधिकारी, कार्यालय पंचायत समिति, चूरु।
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. निजी/रक्षित पत्रावली।


(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)